अध्याय–VIII

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

282 (1) संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करना

सरकार ने तारीख 5 अक्टूबर, 1988 की का.ज्ञा.सं. 2(36)/86–बी पी ई (डब्ल्यू सी) के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की घोषणा की थी। सरकार ने लोक उद्यमों में अधिशेष श्रमशक्ति को न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता तथा कर्मचारियों के हितों दोनों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को अधिक कुशल बनाने के लिए इसे संशोधित किया है।

2. उद्यम, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं और अपने अधिशेष संसाधनों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को जारी रख सकते हैं उपर्युक्त पैरा 1 में उद्धत मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम में परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं और उसे कार्यान्वित कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में सेवा के एक वर्ष पूरा होने के लिए प्रतिपूर्ति 60 दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी या शेष सेवा के महीनों की संख्या के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के प्रयोजन के लिए वेतन में केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होगा और कोई अन्य तत्व इसमें शामिल नहीं होगा।

3. बहुत कम लाभ प्राप्त करने वाले या हानि उठाने वाले उद्यम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की संशोधित स्कीम के आधार पर तैयार की गई है। स्कीम का ब्यौरा नीचे तैयार किया गया हैरू

(i) प्रतिपूर्ति में सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन शामिल होगा और अधिवर्षिता तक शेष बची हुई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन शामिल होगा। प्रतिपूर्ति न्यूनतम 25,000/– रू. या 250 दिन का वेतन, जो भी अधिक हो तक होगी। लेकिन यह प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता से पहले शेष बची हुई अवधि के लिए प्रचलित स्तर पर लिए जाने वाले कर्मचारी के वेतन के जोड़ से अधिक नहीं होगी।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के प्रयोजन से वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता ही शामिल होंगे।

(iii) संशोधन आदि के कारण मजदूरी की बकाया राशि पात्र राशि के परिकलन में शामिल नहीं की जाएगी।

(iv) बोनस का भुगतान बोनस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप होगा आकस्मिक छुट्टी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की तारीख तक आनुपातिक रूप से भुनाई या सकती है।

4. वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र इकाईयों के संबंध में उपर्युक्त पैरा 3 में व्यवस्था में उपयुक्त परिवर्तन उसके साथ संलग्न शर्तों के अधीन तैयार किए जा सकते हैं।

5. रूग्ण और अक्षम यूनिटों के लिए भारी उद्योग विभाग के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के पैकेज को स्वीकार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप गुजरात के पैकेज पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का मॉडल तैयार किया जा सकता है और उपर्युक्त पैरा 3 में दिए अनुसार उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारी प्रस्ताव की तारीख से 3 महीने के अंदर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प देगा और विकल्प न दिए जाने की स्थिति में वे केवल छटनी प्रतिपूर्ति के ही पात्र होंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का ब्यौरा इस प्रकार है:–

(i) कर्मचारी सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक एक वर्ष के लिए 45 दिनों की परिलब्धियों (वेतन महंगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रहपूर्वक भुगतान या सेवानिवृति की सामान्य तारीख से पहले बची सेवा के शेष महीने से सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों से गुणा करके प्राप्त राशि, जो भी कम हो, का हकदार होगा।

(ii) ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 महीनों (साठ महीनों) के मासिक वेतनध्मदजूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह राशि शेष सेवा की बची हुई अवधि के लिए वेतन/मजदूरी की राशि से अधिक नहीं होगी (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन/मजदूरी की दर पर)

6. स्वैचछिक सेवपनिवृतति स्कीमध वी एस एस के अधीन प्रतिपूर्ति सेवान्त हितलाभों के अतिरिक्त होंगी।

7. सरकारी इक्विअी भागीदारिता वाले औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी और जो सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं स्वैचछिक सेवानिवृतति स्कीम में शामिल होंगे।

8. कम लाभ अर्जित करने वाले या हानि उठाने वाले उद्यमों या रूग्ण उद्यमों को ही स्वैचछिक सेवानिवृतति स्कीम लागू करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें बैंक से उधार प्राप्त नहीं है। सामान्यतया निधि वित्तीय वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अक्षम/रूग्ण लोक उद्यमों के मामले में बजटीय सहायता मांगने से पहले वित्त पोषण के अन्य साधनों का भी पूरी तरह से पता लगाया जाना चाहिए जैसे परिसंपतियों की जांच और स्वैचछिक सेवानिवृतति स्कीम/वी एस एस के लिए धनराशि देने के लिए सरकारी गारंटी के बदले बैंक ऋण प्राप्त होने की संभावना।

9. सवैच्छिक सेवानिवृति स्कीम स्थायी कर्मचारियों, बदली कामगारों, कार्य प्रभारित स्थपित और अस्थायी कामगारों परलागू होगी लेकिन उजरती कामगारों पर लागू नहीं होगी। स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम से खाली हुई रिक्तियों पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

10. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम का विकल्प लेने वाले व्यक्तियों को बैंक से ऋण प्राप्त करवाने में सहायता प्रदान करें ताकि वे लाभप्रद स्व–रोजगार प्राप्त कर सकें।

11. एन आर एफ का मौजूदा रूप नहीं रहेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृति सकीम लेने वाले कर्मचारियों का पुनः प्रशिक्षित करने/पुनर्वास के लिए अपेक्षित निधि लोक उद्यम विभाग के पास रखी जाएगी ताकि उनके लिए व्यवस्था तैयार की जा सकें।

12. स्वैचछिक सेवानिवृतति स्कीम (योजना) लागू करने में प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि यह योजना प्रारंभिक रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होंगी जिनकी सेवाएं समाप्त होने से कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती जाएगी कि उच्च कुशलता प्राप्त और शैक्षिक योग्यता प्राप्त कामगारों और कर्मचारियों को विकल्प ने दिया जाए क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम से उत्पन्न रिक्तियों पर भर्ती नहीं की जाएगी इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संगठन में प्रतिभाओं की कमी न हो जाए। लोक उद्यमों के प्रबंधन अपने बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम लागू करेंगे।

13. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और स्वैच्छिक वियोजन स्कीम (वॉलेनट्री सेपरेशन स्कीम) का ब्यौरा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं और यह सुनिश्चित करें कि लोक उद्यम यहां निर्धारित उपबंधों के अनुसार कड़ाई से इन स्कीमों को लागू करते हैं।

14. इस कार्यालय ज्ञापन से 5 अक्टूबर, 1988 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(36)/86– बी पी ई (डब्ल्यू सी) और इसी विषय पर उसके बाद जारी किए गए आदेश अधिक्रमित होते हैं।

(लो.उ.वि. कार्यालय ज्ञापन सं. 2(32)/97 – लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी)+जी एल–XXII तारीख 5 मई, 2000)